

16 9
22

पत्रावली पेश हुई। वादी खिन्ना
वकील ~~अनुपस्थित~~। न्यायालय में

कार - कार आवाज लगाने के आवेदन

साथ 5.00 बजे तक वादी एवं वादी
वकील में से कोई उपस्थित नहीं हुआ।

मूलकाद अदम हाजरी एवं
अदम पेंची में खारिज हो चुका है।
मूलकाद का निस्तारण हो जाने से
प्रा० पत्र 212 RT Act का कोई
औचित्य नहीं रहता है।

अतः प्रा० पत्र 212 RT Act की
कार्यवाही ड्रॉप की जाती है पत्रावली
कैबल नुमार होकर रजिस्टर से
हटा दी जावे। संलग्न मूलकाद है।

SDO